राजस्थान सरकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग

क्रमांकः– CE/PWD/D47/16/D-93 दिनांक :– 26.05.2016

परिपत्र - 05/2016-17

मानसून, वर्ष 2016 में बाढ़ प्रबन्धन हेतु तैयारियॉ

दक्षिण पश्चिम मानसून, वर्ष 2016 राज्य में शीध्र ही सक्रिय होने जा रहा हैं। अतः राज्य में अतिवृष्टि या अन्य कारणों से जलभराव/बाढ़ की सम्भावना को देखते हुये जन धन के सुरक्षात्मक उपाय हेतु उचित प्रबन्धन किया जाना आवश्यक है। इस क्रम में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा बाढ़ प्रबन्धन हेतु जारी गाईड लाईन्स् तथा आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा जारी बाढ़ सहिता व समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसरण में विभाग के स्तर से निम्न कार्यवाहीयॉ सुनिश्चित की जानी हैः–

(ए) केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष की स्थापना :–

1. **विभाग का केन्द्रिय नियन्त्रण कक्ष वृत्त जयपु ग्रामीण के अधीन स्थापित होगा।**
2. केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष की स्थापना 24x7 अवधि के लिये की जावेंगी जो कि 15 जून 2016 से प्रभावी होकर मानसून के अन्त (30 सितम्बर 2016 या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के आदेशोनुसार) तक कार्यरत रहेगा।
3. केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष में न्यूनतम सहायक अभियन्ता स्तर के अधिकारी व उसके सहयोग हेतु आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध रहेंगे ।
4. **केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष सचांलन हेतु अधिकारी एवं कर्मचारियों का पदस्थापन आदेश अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता संभाग द्वितिय द्वारा जारी किये जावेगें।** नियन्त्रण कक्ष मे रोटेशन के आधार पर जयपुर स्थित विभाग के वृत्त/खण्ड कार्यालयों के अधिकारी व कर्मचारियों को लगाया जाये।
5. केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष का दूरभाष व फैक्स नम्बर **0141–5110529** व ई–मेल पता **piu.jaipur@rediffmail.com** निर्धारित किया हुआ है।
6. राज्य के किसी भी क्षैत्र मे सड़क व पुलियाओं के क्षतिगस्त होने की सूचना प्राप्त होने पर केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष प्रभारी उसको रजिस्टर में दर्ज करेगें व दैनिक रिपोर्ट मुख्य अभियन्ता (विशिष्ट योजना) को प्रस्तुत करेगे तथा बाढ़ आने/बाढ आपदा घोषित होने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल दूरभाष/मोबाईल द्वारा मुख्य अभियन्ता (विशिष्ट योजना) को अवगत करवायेंगे।

(बी) संभाग/जिला / खण्ड स्तर पर नियन्त्रण कक्षों की स्थापना :–

1. संभाग मुख्यालय /जिला मुख्यालय व प्रत्येक खण्ड स्तर पर पृथक से 24x7 अवधि के लिये नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की जावें जो कि 15 जून 2016 से प्रभावी होकर मानसून के अन्त (30 सितम्बर 2016 या जिला क्लेकटर के आदेशोनुसार) तक कार्यरत रहे तथा समस्त आवश्यक उपकरणों फैक्स/दूरभाष, कम्प्युटर मय इन्टरनेट सुविधा से युक्त हो।

2. नियन्त्रण कक्ष में आवश्यक अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध रहेंगे जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी आदेश जारी कर अपने उच्च अधिकारी, केन्द्रीय नियत्रंण कक्ष जयपुर व सभी सम्बन्धितो को अवगत करवायेंगे।
3. नियत्रंण कक्ष के क्षेत्राधिकार मे आने वाले सभी ग्रामो के सरपंच/महत्वपुर्ण व्यक्तियो/विभाग के कार्यो से जुडे ठेकेदारो के दुरभाष एंव मोबाईल नंबरो का संकलन कर टेलिफोन सूची संधारित करेंगे ताकि आपदा की परिस्थिति मे क्षतिग्रस्त पुलियाओं, मार्गो की तत्काल जानकारी हासिल की जा सके व आवश्यक प्रबंधन किया जा सके।
4. नियंत्रण कक्ष के प्रभारी द्वारा अतिवृष्टि/बाढ आपदा से होने वाली क्षति की सूचना रजिस्टर में दर्ज की जायेगी तथा केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष में निर्धारित प्रपत्रों में ई–मेल/फैक्स/आकस्मिक परिस्थितियों में दूरभाष द्वारा प्रेषित की जायेगी व कार्यालय प्रभारी को दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।
5. प्रत्येक जिला कलक्टर कार्यालय में बाढ़ नियंत्रण कक्ष का टोल फ्री दूरभाष नम्बर (बी. एस. एन. एल.) **1077** निर्धारित किया हुआ है एवं राजस्थान संचिवालय जयपुर के केन्द्रीयकृत बाढ़ नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नम्बर **0141–5110869 एंव** टोल फ्री दूरभाष नम्बर (बी. एस. एन. एल.) **1070/या 0141–2227296** निर्धारित किया हुआ है। बाढ़ आपदा से सड़कों, पुलियाओं की क्षति एवं यातायात अवरूद्व होने की सूचना इन दूरभाष नम्बरों पर तुरन्त प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
6. **समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियंता संभाग मे बाढ से अवरुद्व सडक मार्गो से सम्बधिंत सूचना निर्धारित प्रपत्र (A) मे दैनिक रूप से ई–मेल पते piu.jaipur@rediffmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करेगें ताकि शासन को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।**

(सी) मानसून अवधि में अवकाश स्वीकृत किये जाने की प्रकिया :–

1. मानसून अवधि (15 जून से 30 सितम्बर 2016 तक) में विभाग के समस्त फिल्ड मे पदस्थापित अधिकारी **सक्षम अधिकारी से बगैर अवकाश प्राप्त किये अपना मुख्यालय नही छोडेगें।**
2. **सभी नियन्त्रण अधिकारी अपने अधिनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को मौसम विभाग/जिला कलेक्टर से प्राप्त भारी बारिश की उनके क्षेत्र में सम्भावना के दौरान अवकाश स्वीकृत नही करेगें।** अपरिहार्य कारण होने पर नियन्त्रण अधिकारी अपने उच्च अधिकारी से चर्चा कर व अवकाश पर जाने वाले अधिकारी/कर्मचाारियों के कार्यों के निष्पादन की वैकल्पिक व्यवस्था करने के पश्चात ही अवकाश स्वीकृत करेगें।

(डी) अधिकारी/कर्मचारियों में कार्यो के बटवारे सम्बन्धी दिशा–निर्देश :–

1. सभी नियन्त्रण अधिकारी अपने कार्यालय में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारियों में सामान्य व बाढ़ आपदा सम्बन्धित कार्यो के बटवारे के प्रथक आदेश जारी करेगे साथ ही प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी के अवकाश/अनुपस्थित होने की सम्भावनाओं के मध्य नजर प्रथम व द्वितीय लिंक अधिकारी/कर्मचारी के आदेश 14 जून 2016 तक जारी कर अपने उच्चाधिकारी को प्रेषित करेंगे।
2. जिले में अधीक्षण अभियन्ता, दैनिक रूप से मौसम विभाग की वैब साइट www.imd.gov.in/ पर या जिला नियन्त्रण कक्ष से उनके जिले में अथवा पडोसी जिले में मानसून के सक्रिय होने या अतिवृष्टि होने की सम्भावना पर विभाग के सभी अधिनस्थ अधिकारियों को सावधान करेंगे व आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवायेगें।

(ई) **आवश्यक सामग्री व आकस्मिक कार्यों के निस्पादन हेतु पूर्व अनुबन्ध** :–

विभाग के खण्ड /उपखण्ड अधिकारी पूर्व के रिकार्ड अनुसार बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में संभावित क्षतिग्रस्त सड़कों/भवनों/पुलियाओं की मरम्मत कार्यो के तात्कालिक मरम्मत हेतु निर्माण सामग्री/ कार्यनिष्पादन के लिये निविदायें अग्रिम रूप से आमंत्रित कर प्रकिया पूर्ण कर लेवें।

(एफ) **मानसून पूर्व पुलियाओं का निरीक्षण व आवश्यक प्रबन्धन**:–

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग के मैन्युअल में वर्णित दिशा निर्देशानुसार खण्ड /उपखण्ड अधिकारी अपने क्षेत्र की समस्त पुलियाओं का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पानी की निकासी अवरूद्ध न हो व इस हेतु बाढ आपदा पूर्व तैयारी कार्य अनुमत होने के कारण नरेगा योजना मद का अधिक से अधिक उपयोग लेना सुनिश्चित करेंगे ताकि विभागीय मद पर वित्तिय भार कम से कम पडे। मुख्य अभियंता (पथ) इस सन्दर्भ मे विशेष मोनिटरिंग सुनिश्चित करेंगे।
2. नये निर्मित हो रही पुलियाओं के कार्यो को 15 जून 2016 तक सम्पादित करने का प्रयास करें अथवा सुरक्षित स्थिति तक निर्मित करने की व्यवस्था करें।

(जी) **उपखण्ड सहायक अभियंता द्वारा संवेदनशील क्षैत्रों की पहचान व निदान** :–

1. वर्षाकाल में सड़क मार्ग से गुजरने वाले जिन नदी–नाले, रपट, कल्वर्ट, फ्लश/वेन्टेड काजवे अथवा सबमर्सिबल पुलों पर अधिक पानी बहता है, उनकी पहचान कर आवश्यकता होने की स्थिति मे कॉजवे/पुलियाओं के किनारे–किनारे दोनों तरफ चिनाई के पिलर बनाकर उसमें लोहे की मोटी सॉकल (चैन) बन्धवाना सुनिश्चित करें।
2. बॉस, बल्लियॉ, रस्सी व लोहे की मोटी सॉकल (चैन) की आवश्यकतानुसार खरीद हेतु जिला कलक्टर से सम्पर्क कर उनसे राशि प्राप्त करना सुनिश्चित करे क्योंकि इस कार्य हेतु राशि सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा प्रदान की जायेगी जिसके बारे में इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ–2/सीई(पथ–द्वितीय)/बाढ़/08–09/डी–489 दिनांक 20.05.2008 द्वारा भी निर्देशित किया जा चुका है।
3. सड़क के एक्रॉस नदी/नाले के दोनों ओर भी चैन लगाई जावे ताकि बाढ़ के समय जान माल की रक्षा की जा सकें। ऐसे पानी के प्रवाह वाले स्थानो के दोनो छोर पर एक–एक व्यक्ति होम गार्ड या राजस्थान पुलिस का कर्मचारी उचित समय पर तैनात करने वास्ते सम्बंधित जिला कलक्टर से आग्रह किया जावे एवं इसके साथ एक विभाग का व्यक्ति भी तैनात किया जावे जिससे की वह व्यक्ति बहते हुये पानी में होकर गुजरने वाले यातायात को प्रतिबंधित कर सकें जिसके फलस्वरूप पानी मे बहकर मरने के हादसे नहीं हो सके। यदि कोई वाहन जबरदस्ती से बहते हुये पानी में प्रवेश करता है तो उस वाहन के नम्बर नोट कर उसके विरूद्व कार्यवाही करने बाबत पुलिस प्रशासन को लिखा जावें। यदि तेज बहाव की स्थिति में इस प्रकार के चिन्हित स्थलों पर पुलिस अथवा होम गार्ड का कोई जवान उपस्थित न हो तो तुरन्त ही जिला कलेक्टर अथवा उपखण्ड अधिकारी से सम्पर्क कर उसकी तैनाती सुनिश्चित करें। स्थल पर सॉकल लगाने एवं उसकी निगरानी का कार्य सा.नि.वि. द्वारा किया जायेगा। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो इसे सुनिश्चित किया जावें।
4. चेतावनी/सूचना हेतु बोर्ड तैयार कर उपयुक्त स्थान पर रखवाना सुनिश्चित करें ताकि अधिक पानी के बहाव/सड़क क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में उन्हे शीघ्रातिशीघ्र लगाया जा सके।

5. सड़क/पुलिया क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में यातायात को खतरे से बचाने हेतु चौकीदारों को लाल झंडे/लाल लेम्प/रिफलेक्टिव साईन बोर्ड की स्थापना के साथ ड्यूटी पर लगाना सुनिश्चित करें।
6. संवेदनशील पुलियाओं के बाढ मापी गेज क्षतिग्रस्त हो गये हों या गायब हो गये हों या पेन्ट खराब हो गया हो तो तत्काल आवश्यक कार्यवाही कर सही बाढ मापी गेज स्थापित करना सुनिश्चित करें।
7. चेतावनी/सूचना सम्बन्धी साईन बोर्डों को अग्रिम रूप से तैयार करवाकर रखें ताकि बाढ की परिस्थितियों में काम में लिये जा सकें।
8. सभी संवेदनशील पुलियाओं के 50 मीटर पहले चेतावनी बोर्ड जिस पर यह लिखा हो कि " **बाढ मापी गेज पर लाल निशान/15 सेन्टीमीटर से अधिक पानी होने पर वाहन चालक/राहगीर पुलियाओं को पार नहीं करें।**"
9. सड़क/पुलिया के क्षतिग्रस्त होने के कारण सड़क मार्ग आवागमन हेतु बन्द रखने की स्थिति में बस डिपो को अवगत करवाने की व्यवस्था करें तथा इस हेतु साईन बोर्ड मार्ग में दोनो ओर स्थापित करें।
10. पूर्व के रिकार्ड व अनुभवों के आधार पर संवेदनशील सड़क व पुलियाओं के डूब में आ जाने/क्षतिग्रस्त होने वाले मार्गो के लिये प्रथक से वैकल्पिक मार्गों की योजना बनाई जाकर सभी नियन्त्रण कक्षों में उपलब्ध करानें की व्यवस्था करे।
11. विगत वर्षो में मानसून के दौरान जो सड़कें डूब गई हो या क्षतिग्रस्त हो गई हों उनका निरीक्षण कर तकनीकी आवश्यकतानुसार कार्य सम्पादित करने की व्यवस्था करें।
12. विभाग के खण्ड/उपखण्ड अधिकारी सा.नि.वि. खाली सीमेन्ट बैग में रेत भरवाकर पूर्व के अनुभवों के आधार पर सुरक्षित एवं सुलभ क्षेत्रों में रखवाने का प्रबन्धन करे ताकि आवश्यकता पड़नें पर बाढ़ प्रबन्धन के काम मे लिया जा सके।
13. निर्माण से जुड़े उपकरण (T&P) जेसे गेती, फावड़े, तगारिया, सब्बल इत्यदि की उपलब्धता का खण्ड/उपखण्ड के स्टोर में आकंलन करवाने के पश्चात आवश्यकतानुसार सम्बन्धित ऐजेन्सी से पूर्व अनुबंध खण्डीय अधिकारी करके रखे ताकि बाढ़ बचाव हेतु बगैर विलम्ब बचाव के कार्य शुरू किया जा सके।

(एच) <u>बाढ आपदा में उपयोगी भारी मशीनों का प्रबन्धन हेतु यात्रिंक शाखा द्वारा निष्पादित होने वाले कार्य</u> :-

1. यांत्रिक शाखा प्रत्येक जिले मे आपदा पश्चात् बचाव कार्य तुरन्त प्रारम्भ करने के सदंर्भ मे विभागीय संवेदकों के अतिरिक्त जिले में उपलब्ध अन्य भारी मंशीनों के आपदा पश्चात् तात्कालिक उपयोग सुनिश्चित करनें के क्रम में जिला परिवहन अधिकारी से समन्वय कर भारी यांत्रिक मशीनो जैसे-जे.सी.बी., क्रेन,लोडर, डम्पर इत्यादि (सरकारी, निजी व संवेदको सहित) को चिन्हित् करेगें व उनके मालिकों के पते व दूरभाष/मोबाईल सम्पर्क नम्बरों का संकलन कर सूचि 15 जून 2016 से पूर्व तैयार करेगें ।
2. भारी मशीनों की उपरोक्त सूची प्रत्येक उपखण्ड/खण्ड/वृत्त/संभाग/मुख्य अभियन्ता (विशिष्ठ योजना) कार्यालयों में उपलब्ध/प्रेषित करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
3. प्रत्येक भारी मशीन को राज्य सरकार द्वारा आपदा की परिस्थिति मे उपयोग में लेने हेतु घंटो/दैनिक आधार पर किराये का निर्धारण जिला कलेक्टर से या सक्षम अधिकारी से करवाकर इन दरो की सूची विभाग की वेब साईट पर 15 जुन 2016 से पूर्व जारी करवाना सुनिश्चित करेगें।

4.सड़को/पुलियाओं के क्षतिग्रस्त होने पर तत्काल मरम्मत शुरू करने के लिये बाढ़ के पानी को क्षतिग्रस्त क्षेत्र से निकालने हेतु विभाग में उपलब्ध पम्प सेटस् को तैयार रखे व यदि खराब हो तो उसकी मरम्मत सुनिश्चित करावें तथा पम्प सेटस् न होने की स्थिति में जिला कलेक्टर के माध्यम से सिंचाई विभाग/ जन स्वास्थय अभियान्त्रिक विभाग के पास उपलब्ध पम्प सेटों की जानकारी रखें तथा आवश्यकता पड़नें पर खण्ड/ उपखण्ड को उपलब्ध करवायेंगे।

(आई) <u>विधुत शाखा द्वारा निष्पादित होने वाले कार्य</u>

1. विधुत शाखा नियत्रंण कक्षो में विधुत आपूर्ति बाधित न हो इस हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेगे।
2. विभाग के अधीन संधारित होने वाले सभी राजकीय कार्यालयों/भवनों में विद्युत के तारो का निरीक्षण सुनिश्चित करावें ताकि Short Circuit से होने वाली अग्निजनित दुर्घटनाओं व क्षति से बचा जा सकें।

(जे) <u>अन्य विभागों से समन्वय</u> :-

1. विभाग के मुख्य अभियन्ता (विशिष्ठ योजना) मानसून अवधि में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के शासन सचिव/सयुक्त शासन सचिव तथा मौसम विभाग, जयपुर के निदेशक से समन्वय स्थापित कर निरन्तर सम्पर्क में रहेंगे तथा परिस्थिति अनुसार अधिनस्थ अधिकारियों को मार्गदर्शन उपलब्ध करवायेंगे व बाढ आपदा की आकस्मिक परिस्थितियों में उच्चाधिकारियों को अविलम्ब अवगत करवा आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवायेगें।
2. जिले में अधीक्षण अभियन्ता, जिला कलेक्टर/अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सहायता) व सिंचाई विभाग के नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर निरन्तर सम्पर्क में रहेंगे तथा परिस्थिति अनुसार अधिनस्थ अधिकारियों को मार्गदर्शन उपलब्ध करवायेंगे व बाढ आपदा की आकस्मिक परिस्थितियों में उच्चाधिकारियों को अविलम्ब सूचित कर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवायेगें।

(के) <u>अतिवृष्टि (24 घंटे में 65 एम.एम. से अधिक की बारिश) पश्चात अनिवार्य निरीक्षण</u> :-

1. विभाग के खण्ड/ उपखण्ड अधिकारी अपने क्षेत्र में अतिवृष्टि (24 घंटे में 65 एम. एम से अधिक की बारिश) के प्रश्चात उनके क्षेत्र के सभी राज्य उच्च मार्ग/ मुख्य जिला सड़कों /अन्य जिला सड़कों का स्वंय निरीक्षण करेगे
2. मार्गों में पानी के भराव होने की स्थिति में तत्काल सड़क मार्ग पर इक्ठठे पानी के निकासी की व्यवस्था करेगे ।
3. पूर्व के रिकार्ड में ऐसे जल भराव वाले सड़क मार्गों पर सम्बन्धित ग्राम के व्यक्तियों से अनुबन्ध कर पानी निकासी का प्रबन्धन करेगें ताकि सड़क मार्ग ज्यादा क्षतिग्रस्त न हो। खण्ड/ उपखण्ड अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों को निरीक्षण रिपोर्ट के माध्यम से क्षति का आंकलन प्रस्तुत करेगें।

(एल) <u>आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा जारी बाढ़ संहिता के तहत निष्पादित होने वाले अन्य कार्य</u> :-

1. ऐसे सार्वजनिक भवनों की पहचान जो वर्षाकाल में गिर सकते हैं, उनकी मरम्मत करवाना और यदि वे अनुपयुक्त पाए जाएं तो उनको जिला कलेक्टर से अनुमोदन पश्चात गिरा देना।
2. बाढ मानचित्रण के आधार पर भवन निर्माण के लिए ऊँचे क्षेत्रों की पहचान करना।

3. भारी वर्षा, तात्क्षणिक बाढ आदि की स्थिति में पुनर्वास शिविरों के लिए ऊँचे क्षेत्रों की शिनाख्तगी।
4. उन संसाधनों की पहचान जिनकी बाढ के दौरान निकासी और सहायता कार्यो के लिए अनिवार्यतः आवश्यकता होती है।
5 अस्थाई और स्थाई पुनर्निमाण कार्यो के लिए त्वरित राहत कार्यवाही हेतु आवश्यक योजना बनाना।

(एम) **बाढ़ आपदा की तैयारियों के सदंर्भ में आकस्मिक योजना तैयार करना** :–
उपरोक्त बिन्दुओं के तहत दिये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने हेतु आवश्यक धन राशि की व्यवस्था हेतु आकस्मिक योजना बिन्दुवार बनाई जावे तथा इसकी प्रति सक्षम अधिकारी / जिला कलेक्टर / मुख्य अभियन्ता (पथ) को प्रेषित कर आवश्यक बजट का प्रावधान व साख सीमा (केडिट लिमिट) जारी करवाना सुनिश्चित करे।

(एन) **बाढ़ आपदा धोषित होने पर क्षतिग्रस्त मार्गों की तात्कालिक मरम्मत हेतु निर्देश** :–
राज्य के किसी भी क्षेत्र में अतिवृष्टि या अन्य कारणों से बाढ़ की स्थिति होने पर सम्बन्धित जिले की जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण या उसके अध्यक्ष (जिला कलेक्टर) द्वारा बाढ़ आपदा धोषित किये जाने पर, घोषित क्षेत्रों में बाढ़ आपदा से प्रभावित व्यक्तियों का जीवन बचानें की दृष्टि से क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी/अतिरिक्त जिला कलेक्टर सहायता/जिला कलेक्टर) की ओर से दी गई क्षतिग्रस्त सड़को/पुलियाओं की सूची अनुसार तात्कालिक मरम्मत सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक प्रस्ताव आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के मापदण्डों व दिशा निर्देशानुसार (प्रति संलग्न) बनाकर जिला कलेक्टर के माध्यम से सहायता विभाग को ऑन लाईन भिजवाना सुनिश्चित करेगें तथा इसकी प्रति मुख्य अभियन्ता (विशिष्ट योजना) को प्रेषित करेगे ताकि कम से कम समय में राज्य आपदा मोचन निधि से उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों के निष्पादन के लिये धन राशि का आवंटन हो सके।

(ओ) **सामान्य वर्षा से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत** :–
सामान्य वर्षा से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत हेतु मुख्य अभियन्ता (पथ) से जारी निर्देशानुसार विभागीय बजट को उपयोग में लेते हुये आवश्यक मरम्मत सुनिश्चित करवायेगें।

(पी) **मानसून में राजकीय कार्यालयो/भवनों मे वर्षा से क्षति रोकने हेतु दिशा–निर्देश**:–
मानसून में भवनों को क्षति न पहुचें इस हेतु निम्न दिशा निर्देशो कि पालना 20/06/2016 तक सुनिश्चित करेगें।

1. **वर्षा से पानी छत पर इक्ट्ठा न हो व राजकीय भवन को सीलन व दरारो से बचाया जा सके इस हेतु जिले मे स्थित सभी राजकीय कार्यालयों/भवनों की छतों व परिसर की पानी की निकासी कार्यालय के जल संरक्षण संरचना में सुनिश्चित करवाने के सन्दर्भ मे प्रत्येक राजकीय भवन/कार्यालय के नियंत्रण अधिकारी इस हेतु नोडल अधिकारी/कर्मचारी के आदेश जारी करेंगे जो कि इस हेतु उत्तरदायी होगा व कार्यालय प्रभारी इस बाबत् प्रमाण प्रत्र जारी करेंगे कि उनके भवन ओर कार्यालय के छतों एंव परिसर की सफाई (पानी की निकासी के सन्दर्भ मे) करावा दी गई है एंवम् पूरे मानसून काल में पानी निकासी निरन्तर अवरुद्व न हो इस बाबत् उपलब्ध स्टॉफ/जनशक्ति से आवश्यक व्यवस्थाऐं सुनिश्चित कर ली गई है।**
2. **अधिक्षण अभियंता, सा.नि.वि. इन प्रमाण प्रत्रो का संकलन सुनिश्चित करेंगे एवं लापरवाह कार्यालय प्रभारी से आवश्यक होने पर जिला कलेक्टर के जरिये इसकी पालना सुनिश्चित करायेंगे ताकि राजकीय भवनो मे कम से कम क्षति हो एवं**

अनावश्यक वित्तिय व्यय से बचा जा सके। इस समबन्ध में प्राप्त प्रमाण–पत्रों बाबत तथ्यात्मक स्थिति से जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत करायेगें ताकि लापरवाह कार्यालय प्रभारियों के खिलाफ अनुशानात्मक कार्यवाही प्रसस्त की जा सके।

3. विभाग के अधीन संधारित होने वाले सभी राजकीय भवनो का उनके **नियंत्रण अधिकारी** द्वारा क्षतिग्रस्त सूचित किये जाने पर तकनिकी निरीक्षण 20 जून से पूर्व सुनिश्चित करे तथा

   (a)तकनिकी दृष्टि से असुरक्षित होने कि स्थिति में भवन के हिस्से/सम्पूर्ण भवन को सक्षम अधिकारी (अधिशाषी अभियंता से नीचे के पद अधिकृत नहीं) से असुरक्षित घोषित करावें ।

   (b)छतों के निरीक्षण में यदि दरारें पाई जाती है व पानी की निकासी के पाईप क्षतिग्रस्त हो गये हों तो उनकी आवश्यक मरम्मत सुनिश्चित करावें।

   (c)भवनों में प्रयुक्त छत की पत्थर की पट्टीयों व छज्जों का निरीक्षण करे व कमजोर पाये जाने पर आवश्यक मरम्मत सुनिश्चित करावें।

   (d)भवनों में लगे पंखों के हुको का भी निरीक्षण करावें व कमजोर होने पर नये हुक लगवावें।

   (e)आरसीसी की छत के नीचे यदि सरिये जंग के कारण फूल गये हों तो आवश्यक तकनिकी आकलन कर आवश्यकता अनुसार मरम्मत करावें या असुरक्षित घोषित करावें।

   (f)राजकीय भवनों की दिवारो का प्लास्टर क्षतिग्रस्त हो रहा हो तो क्षतिग्रस्त होने वाले हिस्से हो हटाकर आवश्यक मरम्मत सुनिश्चित करावे।

4. पूरे मानसून अवधि मे अतिवृष्टि के पश्चात् उपलब्ध स्टॉफ/जनशक्ति से राजकीय भवनों का समय–समय पर निरीक्षण करवायेंगे व यदि छत से पानी टपक रहा हो तो तुरन्त आवश्यक मरम्मत करवायेंगे।
5. मानसून अवधि मे राजकीय भवनों के हिस्सों के क्षतिग्रस्त होने पर वर्षा के समाप्त होने के पश्चात् आवश्यक मरम्मत सुनिश्चित करवायेंगे तथा मरम्मत योग्य न होने पर सक्षम अधिकारी से असुरक्षित घोषित करावें।
6. उपरोक्त निर्देशो की पालना उपलब्ध बजट से करवायेंगे व बजट की अनुपलब्धता पर सम्बन्धित सक्षम अधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।
7. राजकीय भवनों का निरीक्षण दिनांक 20 जून 2016 तक सुनिश्चित कर, पालना रिर्पोट मुख्य अभियता (भवन) को प्रस्तुत करेंगे।

(क्यू) **विभाग की एन.एच. शाखा द्वारा संधारित राष्ट्रीय राजमार्गो हेतु अतिरिक्त दिशा – निर्देशः–**

1. उपरोक्त वर्णित सामान्य दिशा–निर्देशों के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग शाखा द्वारा भारत सरकार के इससें सम्बन्धित विभाग (MoRTH) द्वारा बाढ़ आपदा प्रबन्धन हेतु जारी उच्च प्राथमिकता वाले निम्न आदेशों की पालना कर पालना रिपोर्ट 14 जून,2016 तक सक्षम स्तर तक प्रस्तुत करेगें तथा तात्कालिक मरम्मत हेतु आवश्यक धन राशि का अग्रिम प्रबन्धन सुनिश्चित करेगेंः–
   1. MoSRTH Order No. RW/NH-33044/10/2000-S&R(R) dated 13.01.2003
   2. MoSRTH Order No. RW/NH-33044/10/2002-S&R(R) dated 22.01.2003
   3. MoSRTH Order No. RW/NH-33044/10/2002-S&R(R) dated 31.01.2003

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा MoRTH के Regional Officer द्वारा "Non Availability of Budget for Immediate Repair" Certificate के बगैर राज्य आपदा मोचन निधि से राष्ट्रीय राजमार्गों की अतिआवश्यक तात्कालिक मरम्मत हेतु धन राशि स्वीकृत नही की जा रही हैं। अतः उक्तानुसार आवश्यक होने पर ही आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को प्रस्ताव भेजने की कार्यवाही करे।

2. मुख्य अभियन्ता (एन. एच.) राज्य की NHAI इकाई व MoRTH से समन्वय स्थापित कर आवश्यक प्रबन्धन सुनिश्चित कराएगें।

(आर) **BRO/GREF के अधीन संधारित सड़कों के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश :–**

अतिरिक्त मुख्य अभियंता संभाग जोधपुर/बीकानेर BRO/GREF से समन्वय स्थापित कर उनके द्वारा राज्य में संधारित होने वाली क्षतिग्रस्त सडको का आवश्यक प्रबन्धन सुनिश्चित कराएंगे व तथ्यात्मक रिपोर्ट मुख्य अभियन्ता (पथ) को प्रस्तुत करेंगे।

(एस) बाढ़ आपदा के संदर्भ में हेलीपेड का निर्माण व उपयोग के सम्बन्ध में दिशा–निर्देशः–

1. क्षेत्र में निर्मित हेलीपेड/हवाई पट्टी की सूचना एवं उनके अक्षांश एवं देशान्तर (Lattuitude & longitude) का संकलन कर नियन्त्रण कक्ष में उपलब्ध करायेगे।
2. आकस्मिक परिस्थितियों में बाढ़ आपदा में बचाव कार्य हेतु हेलीपेड के निर्माण के सम्बन्ध सभी आवश्यक पूर्व तैयारी एवं परीक्षण सुनिश्चित करेंगे।

(टी) विद्यालयों की सुरक्षा के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश :–

1. **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विद्यालयों की आपदा के सन्दर्भ में सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में दिये गये दिशा–निर्देशों की पालना के क्रम में राज्य में स्थित सभी विद्यालयों हेतु भवन सुरक्षा प्रमाण–पत्र नेशनल बिल्डिगं कोड 2005 के मानकों अनुसार अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जारी करेंगे। *सहायक अभियन्ता भवन सुरक्षा प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु अधिकृत नही हैं।***
2. मानसून 2016 के सन्दर्भ में जो विद्यालय निचले ईलाको में स्थित है या वर्षा काल में विद्यालयों में जल भराव हो जाता है ऐसे विद्यालयों को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से चिन्हित कराकर बच्चों की सुरक्षा सुरनिश्चित करेगें।

(यू) जल संग्रहण संरचना (Water Harvesting Structures) का उपयोग सुनिश्चित करनें बाबत दिशा–निर्देशः–

1. जिन राजकीय भवनों के परिसर में जल संग्रहण संरचना (Water Harvesting Structures) निर्मित है उनके कार्यालय प्रभारी जल का भूमि में संग्रहण सुनिश्चित करने हेतु एक जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी को नांमित करेंगे जो जल संग्रहण संरचना के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करेंगे।
2. उच्च अधिकारी कार्यालयों के भौतिक निरीक्षण में इस बाबत कार्यालय प्रभारी द्वारा की गई व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।

(वी) **क्षतिग्रस्त परिसम्पितियों की तात्कालिक व स्थाई मरम्मत के कार्यो की भौतिक व वित्तीय प्रगति रिपोर्ट** :–

1. जिले के अधीक्षण अभियन्ता निर्धारित प्रपत्रों **(ए से एफ)** में वर्षा/बाढ़ आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पितियों की सूचना संकलन कर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के माध्यम से दैनिक/साप्ताहिक प्रत्येक सोमवार/पाक्षिक/मासिक(दिनांक 05 तक)

प्रपत्रानुसार हार्ड व सॉफट कॉपी मे मुख्य अभियन्ता (विशिष्ट योजना) को प्रेषित करेगें।

संलग्न :– प्रपत्र – ए,बी,सी–1, सी–2, सी–3,
डी, ई, एफ, जी एंव एच।

(जी.एल.राव) 26-5-16
मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव,
सार्वजनिक निर्माण विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. विशेषाधिकारी, माननीय मंत्री, सा.नि.वि., राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सा.नि.वि., राजस्थान जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, ,राजस्थान जयपुर।
4. शासन सचिव (आर.टी.एण्ड एच.), MoRTH, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग., राजस्थान जयपुर।
6. शासन सचिव, सा.नि.वि., राजस्थान जयपुर।
7. मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सा.नि.वि., राजस्थान जयपुर।
8. **अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं जिला कलेक्टर ....(समस्त) को बाढ़ व्यवस्था हेतु समीक्षा बैठक में व्यवस्था की समीक्षा करने हेतु)।**
9. मुख्य अभियन्ता (पीएमजीएसवाई/पथ/एस.एस./एन.एच/भवन), सा.नि.वि., राजस्थान जयपुर।
10. मुख्य अभियन्ता चेतक परियोजना, **C/o 56 APO Pin: 931707**
11. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि. संभाग...(समस्त)।
12. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, (यांत्रिक/ विद्युत)
13. अधीक्षण अभियन्ता ,(एस. एस./भवन/एन. एच./पथ/ पी. एम. जी. एस. वाई)
14. अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि. वृत्त..(समस्त)।
15. अधिशाषि अभियंन्ता, सा.नि.वि. खण्ड...(समस्त)।

26-5-16
मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव,
सार्वजनिक निर्माण विभाग

Proforma -'A'

Dated :-

Daily Statement of Traffic held up due to Heavy Rain/Flood and Restoration status

S. No.	Name of Circle	Name of Division	Name of Road	Road pertains to the Department/agency	Road Category & No.	Location/chainge where rain water over toped the road & traffic help up	Date & time on which traffic held up	Duration for which traffic held up	Precautions/Action taken by PWD during over flow period	Restoration work done if any	Date & time from which traffic restored	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Addl Chief Engineer

PWD Zone..............

Weekly Status of Fund Requirement for Repair of Damaged Roads due to Heavy Rains/Flood **Proforma 'B'**

(Amount In lacs)

S.No	Name of Distt	Damaged road length KM						Amount required for immediate Restoration including CD works						Amount required to bring in original shapeincluding CD works for						Total Amount required for						No. Of CD works damaged
		SH	MDR	ODR	VR	UR	Total	SH	MDR	ODR	VR	UR	Total	SH	MDR	ODR	VR	UR	Total	SH	MDR	ODR	VR	UR	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

Additional Chief Engineer PWD
Zone ....

PROFORMA 'C-1'

WEEKLY INFORMATION REGARDING IMMEDIATE RESTORATION OF ROAD DAMAGES DUE TO FLOOD/HEAVY RAIN YEAR

S.N	NAME OF DIVISION	DATE OF OCURANCE	NAME OF DAMAGED ROAD PROPOSED			NATURE OF DAMAGES	WORK REQUIRED TO BE DONE FOR		ACTION TAKEN BY FIELD OFFICER WITHIN 24 HOURS	AMOUNT REQUIERD FOR		REMARK
			ROAD CATEGORY	LENGTH	NAME OF WORK & LOCATION		IMMEDIATE RESTORATION	TO BRING IN ORIGINAL SHAPE		IMMEDIATE RESTORATION	PERMANENT RESTORATION	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

SUPERINTENDING ENGINEER
PWD CIRCLE.....................

PROFORMA 'C-2'

WEEKLY INFORMATION REGARDING IMMEDIATE RESTORATION OF BRIDGES/CULVERTS DAMAGES DUE TO FLOOD/HEAVY RAIN YEAR ......

S.N	NAME OF DIVISION	DATE OF OCURANCE	DAMAGED BRIDGE/CULVERT			NATURE OF DAMAGES	WORK REQUIRED TO BE DONE FOR		ACTION TAKEN BY FIELD OFFICER WITHIN 24 HOURS	AMOUNT REQUIERD FOR		REMARK
			ROAD CATEGORY & No.	LOCATION	LENGTH OF BRIDGE/CULVERT		IMMEDIATE RESTORATION	TO BRING IN ORIGINAL SHAPE		IMMEDIATE RESTORATION	PERMANENT RESTORATION	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

SUPERINTENDING ENGINEER
PWD CIRCLE......................

PROFORMA 'C-3'

WEEKLY INFORMATION REGARDING IMMEDIATE RESTORATION OF BUILDING DAMAGES DUE TO FLOOD/HEAVY RAIN YEAR 2015-16

S.N	NAME OF DIVISION	DATE OF OCURANCE	DAMAGED BUILDING			NATURE OF DAMAGES	WORK REQUIRED TO BE DONE FOR		ACTION TAKEN BY FIELD OFFICER WITHIN 24 HOURS	AMOUNT REQUIERD FOR		REMARK
			NAME	TYPE	LOCATION		IMMEDIATE RESTORATION	TO BRING IN ORIGINAL SHAPE		IMMEDIATE RESTORATION	PERMANENT RESTORATION	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12

SUPERINTENDING ENGINEER
PWD CIRCLE.....................

Proforma'D'

Fortnightly Status of Flood Damages Proposals for Restoration Submitted to Relief Deptt./Collectors

S.N	PWD Dn.	Proposal submitted to Collector as per SDRF Norms			Proposal Agreed by Collector as per SDRF Norms			Demand on line by Collector to Relief Deptt.			AS/FS by Relief Deptt.			FS Issued by Collector		Remarks
		Ref.& date	No. of Works	Amount	Ref.& date	No. of Works	Amount	Ref.& date	No. of Works	Amount	Ref.& date	No. of Works	Amount	No. of Works	Amount	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Addl Chief Engineer
PWD Zone..........

FORTNIGHTLY INFORMATION OF IMMEDIATE RESTORATION OF DAMAGED INFRASTRUCTURES DUE TO FLOOD/HEAVY RAINS

Amount Rs. In Lacs **Format -E**

S.No.	Name of Disstt.	Name of Division	Date of occurance	Estimate Submitted to Distt. Collector			F.S. received from Collector			Date of starting of repair works	Mode of Payment			Up to date Expenditure				Physical Progress			Remarks
				Date of Submission of estimates	No. of works	Amount	Date of Sanction	No. of Works	Amount		Bill through Treasury	Payment by Deptt. Through Deposit and Amount		Amount of bill submitted to Treasury	Payment made by Treasury	Payment made by Deptt. Through Deposit	Total Exp. (19+20)	No. of works Compl.	No. of works in Progress	No. of works not Started	
											(T)	(D)	Amount								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Superintending Engineer
PWD Circle..............

Monthly Statement Showing tentative Excess/Saving for FDR Works Year 2015-16

Format- F

Rs.In Lacs

S.No.	Name of Distt.	Name of Division	F.S. Issued by Distt. Collector		Expenditure incurred upto Date	Pending Liabilities	Total Likely Exp. (6+7)	Saving (5-8)	Excess (8-5)	Remarks
			No. of Works	Amount						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Superintending Engineer
PWD Circle...............

Format G

Fortnightly Work wise Physical & Financial Progress of Flood Damaged works for State roads & Buildings Year ....

Amount Rs. In Lacs

S.No.	Name of Division	Name of Work	F.S. Issued by District Collector			Financial Progress			Physical Progress						Protection works in Meter	Recarpeting in Km	Remarks (Other works/Building works)
			Scope of work	No. of Km	Amount (Rs in lacs)	Exp. Incureed through Treasury	Ex. Incurred Through Deposited	Total	E/W in Km	Shoulder by Gravel in Km	Uncovered WBM Patching in Sqm	BT Patching in Km	CC Road in Meter	CD works (Nos)			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Superintending Engineer
PWD Circle...............

(H)

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER(SS) ,PWD, RAJASTHAN, JAIPUR

No: SE(SS)2014/D-364 Date:- 08/X/2014

Secretary
Disaster Management & Relief Department
Jaipur Rajasthan

Sub :- Flood Damages per Km Norms for proposals of Immediate Restroartion

Ref :- (1)Your U.O Note No F.8(1).D.M&Relief/Flood/2014/9498 dated 05/09/2014.
(2)This office letter No SE(SS)/2014/D-345 dayed 16/09/2014

Sir,

With reference to the above cited subject and referred letters ,it is submitted that State Govt. has fixed up the per Km norms for Ordinary Repair(OR) and Periodical Repair(PR) for different category of Roads with different width, therefore as per GOI direction vide order dated 05/03/2014 District Collectors may be directed at your end to allow the higher of the rate calculated as per GOI formula taking in account State Govt.repair norms in approval of the flood proposals at your end so that processing time for approval of flood proposals at the District Collector / Relief department could be squeezed to the minimum for earliest repair of the roads .Summary of rates are as follows:

S.N	Category of Roads	State Govt.Norms									GOI Normative norms
		Road lane Width	Ordinary Repair rate		Periodic Repair rate		15% of OR+PR		20% of OR +PR		
			Rural	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban	
1	State Highway	Single	1.2	1.62	5.02	6.25	0.933	1.181	1.24	1.574	1.00
2		Intermediate	1.45	1.96	6.1	7.62	1.133	1.437	1.51	1.916	
3		Double	1.92	2.6	8.07	10.09	1.499	1.904	2.00	2.538	
4	MDR,ODR	Single	0.56	0.8	1.8	2.25	0.354	0.458	0.47	0.61	1.00
5		Intermediate	0.67	0.96	2.16	2.71	0.425	0.551	0.57	0.734	
6		Double	0.75	1.22	2.37	3.29	0.468	0.677	0.62	0.902	
7	Village Roads	Single	0.56	0.8	1.8	2.25	0.354	0.458	0.47	0.61	0.6
8		Intermediate	0.67	0.96	2.16	2.71	0.425	0.551	0.57	0.734	
9		Double	0.75	1.22	2.37	3.29	0.468	0.677	0.62	0.902	

Encl : As Above

(M.L.Verma) 8/X/14
SE Cum TA to Chief Engineer (SS)